EMAIL DATED - 18/05/2017

Dear Collectors,

- Please refer my earlier letter dated 04 May 2017 regarding Deen Dayal Upadhyay Patta Vitaran Abhiyan. (Annexed for ready reference).
- Informations in format-1, Format-2, Format-3 are still awaited.
- The Matter was discussed in Cabinet on 17 may and taken seriously.
- Please expedite the matter and send informations in said formats latest by 19 May positively.

Naveen Mahajan
Secretary Panchayati Raj
Rajasthan

AcP

Please upload it on website.

18/5/2017

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकः--एफ4(54) पट्टाअभि./ विधि/पंरा/2017/372 जयपुर दिनांकः 04-5-2017

ज़िला कलेक्टर,
समस्त ।

विषयः— दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पट्टा वितरण अभियान बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 3.5.17 को माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पट्टा वितरण अभियान की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा पंचायतों के पास आबादी विस्तार हेतु वांछित भूमि उपलब्ध नही होने के संदर्भ में भी चर्चा की गई है। पूर्व में आपको आबादी विस्तार हेतु भूमि सेट अपार्ट कराने हेतु निर्देश जारी किये गये थे, जिसके संदर्भ में निम्न बिन्दुओं पर वांछित सूचना संलग्न प्रपत्रों में 3 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करें।

1. अब तक कितनी राजकीय भूमि आबादी विस्तार हेतु सेट अपार्ट की गई हैं एवं कितने प्रकरण राजस्व विभाग में विचाराधीन हैं। (प्रपत्र–1)

2. इन शिविरों में नगरीय सीमाओं में सम्मिलित ग्राम पंचायतों के ग्रामों में सार्वजनिक उपयोग, सरकारी विभागों एवं आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायतों को भूमि आवंटन करने बाबत नगरीय विकास विभाग द्वारा दिनांक 13.4.2017 को आदेश जारी कर दिये गये है। इन आदेशों के तहत परिधीय क्षेत्र/नगरीय क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों में भूमि उपलब्ध नही होने की स्थिति में राजकीय भूमि आवंटन हेतु स्थानीय स्तर पर एक कमेटी को अधिकृतता दी गई है। वर्तमान दिनांक तक इस गठित कमेटी द्वारा कितनी भूमि आवंटित की गई, की सूचना प्रेषित कराने का श्रम करावें। (प्रपत्र–2)

3. चारागाह भूमि आवंटन एवं वन विभाग की भूमि को Divert करवाकर भूमि आवंटन करने हेतु निवेदन किया गया था। वर्तमान दिनांक तक इस प्रकार के कितने प्रकरणों की पहचान की गई है एवं वे वर्तमान में किस स्तर पर विचाराधीन है। (प्रपत्र–3)

संलग्न– उपरोक्तानुसार
तीन प्रपत्र

(आनन्द कुमार)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद, समस्त को प्रेषित कर लेख है कि आप ज़िला कलेक्टर कार्यालय से सामंजस्य कर उपरोक्त से संबंधित जो भी प्रस्ताव विचाराधीन हैं, उनका तत्काल निस्तारण कराने का श्रम करावें ।

शासन उप सचिव(विधि)

प्रपत्र–1

जिला————————

पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सेटअपार्ट हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल (बीघा में)	वर्तमान में भूमि सेटअपार्ट कर दी गई है अथवा विचाराधीन है	प्रस्ताव किस स्तर पर विचाराधीन है (कार्यालय का नाम अंकित करें)	प्रस्ताव कब से विचाराधीन है (तिथि अंकित करें)	विशेष विवरण कोई हो तो अंकित करें
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

प्रपत्र–2

जिला————————

पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कमेटी द्वारा ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल (बीघा में)	कमेटी द्वारा भूमि का हस्तान्तरण कर ग्राम पंचायत को कर दिया गया है अथवा विचाराधीन है	प्रस्ताव किस स्तर पर विचाराधीन है (कार्यालय का नाम अंकित करें)	प्रस्ताव कब से विचाराधीन है (तिथि अंकित करें)	विशेष विवरण कोई हो तो अंकित करें
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

प्रपत्र–3

जिला————————

पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	भूमि की किस्म चारागाह अथवा वन भूमि	Diversion हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल (बीघा में)	Diversion का प्रस्ताव किस स्तर पर विचाराधीन है (कार्यालय का नाम अंकित करें)	प्रस्ताव कब से विचाराधीन है (तिथि अंकित करें)	विशेष विवरण कोई हो तो अंकित करें
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.